संख्या– 396 / III(3) / 2013–01(एन0एच0) / 2011

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 01 जुलाई, 2013

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–673/57 बजट (रा0मा0 अनु0–आयोजनेत्तर) / 13–14, दिनांक 18.06.2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 40.00 करोड़ में से, वित्तीय वर्ष 2013–14 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–RW/G-23012/01/2013-W&A, दिनांक 05.06.2013 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु सामान्य मरम्मत (ओ0आर0) मद में एलोकेट की गयी धनराशि ₹ 4.83 करोड़ (₹ चार करोड़ तिरासी लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1– उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–252 / III(3) / 2011–901(ए0डी0बी0) / 2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं / व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी कार्य पर किया जाय, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। आवंटित धनराशि के सापेक्ष चिन्हित कार्यों हेतु नियमानुसार आगणन गठित करते हुए उनकी सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि आवश्यकतानुसार / नियमानुसार व्यय की जाय।

3– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, अन्य वित्तीय नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मदवार विवरण शासन / भारत सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

5– धनराशि का व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और उक्त धनराशि के विपरीत भारत सरकार से अविलम्ब आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31.03.2014 तक उपयोग कर लिया जायेगा और समय–समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक–3054 सड़क तथा सेतु–01 राष्ट्रीय राजमार्ग–आयोजनेत्तर–337 सड़क निर्माण कार्य–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ–01–राष्ट्रीय मार्ग अनुरक्षण (100 प्रतिशत के0स0)–29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

8– उक्त स्वीकृत ₹ 4.83 करोड़ (₹ चार करोड़ तिरासी लाख मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेन्ट आई0डी0 सं0–S1307220001, दिनांक 01.07.2013 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। अतः तदनुसार अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 एवं शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अ.शा. संख्या–214/XXVII(2)/13, दिनांक 28 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः 396(1)/III(3)/2013, तद्दिनंकित।

प्रतिलिपि, निम्नखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. अनु सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, गढवाल/कुमायूं क्षेत्र, पौड़ी/अल्मोड़ा।
4. अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी/समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, 10 वॉ राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग।
9. वित्त अनुभाग–2/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. लोक निर्माण अनुभाग–2/गार्ड बुक, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।